तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19/6/25	पत्रावली पेश। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक - 30/6/25 को पेश हो।
30/6/25	पत्रावली पेश। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया की ख०नं० 516 सिवायचक भूमि है, जोकि हमारे खाते की भूमियों के पास स्थित है। इस पर हम अपने कृषि उपकरण रखते है, तारबन्दी कर रखी है। हम काबिज काश्त है। हमने चरखी लगा रखी है। ये हमारे कब्जे काश्त मे दखलंदाजी करते है। इनको पाबन्द किया जावे।
	वकील अप्रार्थी ने खण्डन मे कथन किया की निषेधाज्ञा का दावा खातेदार ही ला सकता है। ये ख०नं० 516 राजकीय सिवायचक पर दावा लेकर आये है। इस ख०नं० पर हमारा कब्जा नही होकर किसी तीसरे व्यक्ति का कब्जा है। सरकारी भूमि पर इनका प्रकरण पोषणीय नही होने से खारीज किया जावे।
	हमने प्रस्तुत तर्को पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित ख०नं० 516 वाके ग्राम नेत प्रार्थीया की खातेदारी मे दर्ज नही है। केवल उस पर प्रार्थीया अतिक्रमी की हैसियत से काबिज काश्त है। राजकीय भूमि पर प्रार्थीया द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित नही है।
	प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने हेतु निर्धारित बिन्दुओ पर न्यायालय का

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौली

P.T.O.

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
निष्कर्ष निम्नानुसार है :-	

1. प्रथम दृष्टया मामला :- विवादित भूमि ख० नं० 516 की प्रार्थीयाँ खातेदार कृषक नहीं है। उक्त ख० नं० 516 राजकीय सिवायचक भूमि होने व प्रार्थीयाँ उस पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीयाँ के पक्ष में नहीं बनता है।

2. सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त :- विवादित भूमि प्रार्थीया की खातेदारी मे नही होने व प्रार्थीया सिवायचक भूमि पर अतिक्रमी मात्र की हैसियत से काबिज होने से सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीयाँ के हक मे नही है।

3. अपूरणीय क्षति की सम्भावना :- प्रार्थीया विवादित भूमि की खातेदार नही होने से वह उसे बेदखल करने से उसको कोई अपूरणीय क्षति की सम्भावना नही बन रही है।

उपरोक्त विवेचनानुसार तीनो बिन्दुओं के प्रार्थीया के पक्ष मे नही बनने से प्रा०पत्र प्रार्थीया खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली